



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

1 सामाजिक गतिशीलता व संस्थागत विकास
(Social mobilisation and Institutional development –SMID)

स्व सहायता समूह का गठन :- एक ही स्थान पर निवासरत् स्व सहायता समूह के गठन हेतु न्यूनतम 10 एवं अधिकतम 20 स्थाई शहरी गरीब (बी.पी.एल. कार्डधारी 70% एवं अन्य 30%) महिलाओं को जोडकर समूह का गठन किया जाता है। ताकि अपने समूह के नाम से बैंक में बचत खाता खुलवाकर बचत कर सके एवं शासन की योजनाओं तथ बीमा का लाभ उठा सके।

समूह को आवर्ती निधि:- गठित समूह के 3 माह एवं 12 बैठक पूर्ण हो जाने के पश्चात् शासन द्वारा समूह को मजबूत बनाने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में मु. 10000/- रूपये की आवर्ती निधि समूह को दी जाती है।

क्षेत्र स्तरीय संघ (ए.एल.एफ):- 10 से 20 को जोडकर क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया जाता है, शासन स्तर पर क्षेत्र स्तरीय संघ का पंजीयन होने के पश्चात् उन्हें मु. 50000/- रूपये की आवर्ती निधि प्रदान की जाती है।

टाउन लेवल फेडरेशन (टी.एल.एफ):- 3 क्षेत्र स्तरीय संघ को शामिल कर निर्धारित जनसंख्या के आधार पर टाउन लेवल फेडरेशन (टी.एल.एफ.) का गठन किया जाता है।

शहरी आजीविका केन्द्र:- आजीविका केन्द्र द्वारा रोजमर्रा से जुड़े सेवाएं प्रदान करना लोगों को अवसर प्रदान करना एवं समूह द्वारा उत्पादित वस्तु के विक्रय हेतु स्थल उपलब्ध कराना, पेटिंग दीवार लेखन, फोटोकॉपी, कोरियर सेवा, रेल्वे आरक्षण सेवा, बस आरक्षण, कैब सर्विस, दैनिक मजदूर इत्यादि के सेवाओं से जुड़े दक्ष/प्रशिक्षित लोग आजीविका केन्द्र में अपना पंजीयन निर्धारित शुल्क जमा कर इस सुविधा का लाभ ले सकते है।



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

स्व-रोजगार कार्यक्रम (Self employment Programme- SEP)

व्यक्तिगत उद्यम ऋण:- व्यक्तिगत व्यवसाय या उद्यम के लिए इच्छुक शहर के स्थाई शहरी गरीब 2 लाख तक के ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

समूह उद्यम ऋण:- सामूहिक उद्यम या व्यवसाय के लिए इच्छुक शहर के स्थाई निवासी न्यूनतम 3 सदस्य 70% शहरी गरीब शामिल होते हुए अधिकतम 2 लाख प्रति सदस्य या समूह में कुल 10 लाख तक का ऋण हेतु आवेदन कर सकते है।

योग्यता:- न्यूनतम आयु 10 वर्ष होनी चाहिए, आवेदित व्यवसाय की सम्पूर्ण जानकारी एवं अनुभव।

आवेदन एवं वांछित दस्तावेज:- बैंक से सलाह करने के उपरांत कार्यक्रम के कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर बीपीएल एवं राशन कार्ड, आधार कार्ड, परियोजना प्रस्ताव, पोस्ट कार्ड, पासपोर्ट फोटो, वोटर आईडी कार्ड, व्यक्तिगत बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति संलग्न किया जाना होगा।

लाभ:- व्यक्तिगत एवं समूह उद्यमों को स्थापित करने के लिए स्वीकृत ऋण पर ब्याज में 7% दर के ऊपर ब्याज दर पर छूट उपलब्ध कराई जाएगी।

बैंक लिकेंज:- कार्यक्रम अन्तर्गत गठित महिला स्व सहायता समूहों जिन्हें आवर्ती निधि प्राप्त होने के 9 माह उपरांत प्रक्रिया कर बचत संबंधी ऋण (बैंक लिकेंज) दिया जा सकता है, जिसमें 7% दर से अधिक और ऊपर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। एवं नियमित ऋण अदायगी में 5% की अतिरिक्त ब्याज दर में छूट प्रदान की जाएगी।



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
(Support to urban street vendors – SUSV)

शहरी पथ विक्रेता:- पथ विक्रेताओं को जैसे-फल सब्जी का व्यवसाय करने वालों का व्यवस्थित कर उन्हें निर्धारित स्थल चिह्नंकित कर प्रदान करना। इन व्यवसायियों का सर्वे कराकर परिचय पत्र प्रदान करना जिससे एक लाइसेंस के रूप में निर्धारित स्थल में व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान किया जा सके।

प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम. स्वनिधि):- कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामाना या सेवाएं, चीजे, खाद्य सामाग्री अथवा किसी अस्थाई रूप से बने हुए स्टॉल से या फिर गली-गली घूमकर, फुटपाथ/रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हों। इनके द्वारा बेची जा रही वस्तुओं में सब्जियां, फल, वस्त्र, दस्तकारी उत्पाद, पुस्तकें/लेखन सामाग्री इत्यादि ऐसे वेन्डर्स को प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि से मु. 10000/- का लोन प्रदान किया जाता है।



कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

आश्रय स्थल

Support for urban homeless (SUH)

आश्रय स्थल:- शहरी बेघर व्यक्तियों के लिये यह एक आश्रय योजना है। इस योजना में बाहर से आये विद्यार्थी व्यक्ति जिनके पास दो या तीन दिन ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाता वे अपना परिचय पत्र दिखाकर निःशुल्क रह सकते हैं।

Thank You...